न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –02/2021 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2021/53

चौथमल आत्मज मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. मुकेश आत्मज रामकुंवार
2. महावीर आत्मज रामकुंवार
3. सुरेश आत्मज रामकुंवार
4. सीमा अबाई पुत्री रामकुंवार
5. कमला बाई पत्नी रामकुंवार
   जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम बनियानी तहसील लाडपुा जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के भू आवंटन नियम 1970

उपस्थित–

1.श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक प्रार्थी

2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक –20/02/2024

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 1185 की 0.36 हे0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रामकुंवार पुत्र मथुरालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाँडपुरा जिला कोटा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी जो गैर खातेदारी से दर्ज होकर आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई ।
2. प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व दिनांक 29.01.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.36 हे0 आराजी स्थित है जो रामकुंवार आत्मज मथुरालाल जी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी रामकुंवार के स्वर्गवास बाद अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गयी । ग्राम बनियानी स्थित खसरानम्बर 1185 के पुराने खसरानम्बर 1046 रकबा 5 बीघा था जो रेकार्ड में सिवायचक दर्ज था जो अप्रार्थीगण के पिता पति रामकुंवार आत्मज मथुरालाल को आवंटन अधिकारी द्वारा नियमों की पालना किये बिना ही अवैध त्रुटिपूर्ण रूप से आवंटन कर दी और इन्तकाल नं0 365 दिनांक 24.9.77 से रामकुंवार के नाम गैर खातेदारी से दर्ज कर दी गई । आवंटन अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण अनुपस्थित है । वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.36 हे0 आराजी स्थित है जो आवंटन पश्चात रामकुंवार आत्मज मथुरालाल जी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी रामकुंवार के स्वर्गवास बाद अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गयी । रामकुंवार का वर्णित आराजी पर कब्जा नहीं होने से वापस खाता सरकार दर्ज कर दी जिस पर प्रार्थी का कब्जा होने के प्रार्थी को धारा91 एल आर एक्ट का नोटिस निरन्तर

जिला कलेक्टर
कोटा

प्रदान किया जाते रहे । रामकुंवार द्वारा राजस्व कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी इन्तकाल नं0 43 दिनांक 28.10.88 से वापस रामकुंवार ने अपने गैर खातेदारी में दर्ज करवाली जो त्रुटिपूर्ण है । इंतकाल नं0 43 से खसरा नम्बर 1185 रकबा 2.06 हे0 में से 0.36 हे0, खसरा नं0 1182 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 1183 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 1184 रकबा 0.16 हे0 कुल किता–4 रकबा 0.66 हे0 आराजी रामकुंवार के नाम दर्ज की जो त्रुटिपूर्ण है, आवंटित आराजी पर रामकुंवार का कभी कब्जा नहीं रहा है । हमेशा से प्रार्थी ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । आज भी प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है । आवंटन नियमों की बिना पालना किये बिना उद्घोषणा जारी किये और न ही कोरम पूर्ण किये ही आवंटन किया गया है प्रार्थी को आवंटन करवाने अथवा आवंटन पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया । वैसे भी अप्रार्थीगण के पिता एवं पति आवंटन की पात्रता नहीं रखते है, कारण कि रामकुंवार के पास अपने पिता एवं स्वयं की काफी आरजी स्थित है और रामकंवार का मुख्य व्यवसा व्यापार है ।इस कारण अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है । प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को व जिला कलक्टर महो0 को कई बार आवंटन निरस्त किये जाने बाबत अवेदन प्रस्तुत किये जिस पर कोई सुनवायी नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 8.1.2020 को नोटिस दिया उक्त नोटिस की प्राप्ति उपरान्त भी आवंटन निरस्त नहीं करने से प्रार्थी के लिए यह आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के पिता एवं पति रामकुंवार आत्मज मथुरालाल के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 26.6.77 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 1185 रकबा 0.36 हे0 वाके ग्राम बनियानी आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । यदि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है तो उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रार्थी का प्रार्थना पर विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जावें ।

6. हमने वकील प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थन पत्र मात्र उक्त आवंटित भूमि में से खसरा नम्बर 1185 की रकबा 0.36 हे0 नामा0 सं0 43 से 1185 रकबा 2.06 हे0 में से 0.36 हे0, खसरा नं0 1182 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 1183 रकबा 0.13 हे0, खसरा नं0 1184 रकबा 0.16 हे0 कुल किता–4 रकबा 0.66 हे0 भूमि पर स्वयं के कब्जे के आधार पर पेश किया गया है । आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार सिवायचक भूमि की उद्घोषणा जारी होने पर आवंटन हेतु आवेदन आवंटन कमेटी के समक्ष पेश होने पर नियमानुसार अप्रार्थी के हक में आवंटन दिनांक 26.06.1976 को किया गया है । वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी आवंटन की पात्रता भी नहीं रखता है तथा उसके पास अन्य काफी भूमि होना बताया है किन्तु इसकी पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 1185 पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी वर्ष 1987–88,88–89, 89–90 पेश की है जिसमें चोथमल द्वारा काश्त करना अंकित है । किन्तु प्रार्थी केवल कब्जे के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है । प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाते है । प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा